66

निग0 5698/2018/रीवा/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

निगरानी प्र0क्र0................/18

1. बेवा श्यामकली पटेल पत्नी स्व0 शिवमूरत पटेल

2. बैजनाथ पटेल तनय रामावतार पटेल

दोंनो निवासी ग्राम बदवार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

आवेदिका श्यामकली पटेल द्वारा पेश 18-9-18

----आवेदकगण

बिरुद्ध

1. अवधेश पटेल तनय राजभान पटेल

2. राजेश पटेल तनय राजभान पटेल

दोंनो निवासी ग्राम पहरखा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

3. शांती देवी पत्नी रामाश्रय पटेल पुत्री स्व0 सूर्य प्रसाद पटेल निवासी ग्राम इंट्वा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

4. रामकली पटेल पत्नी रमेश पटेल पुत्री स्व0 सूर्य प्रसाद पटेल निवासी ग्राम इंट्हा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0

5. उर्मिला पटेल पत्नी भागीरथी पटेल पुत्री स्व0 सूर्यप्रसाद पटेल निवासी ग्राम चन्द्रमहुली तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

6. उग्रसेन पटेल तनय स्व0 रामसखा पटेल

7. बुद्धसेन पटेल तनय स्व0 रामसखा पटेल

8. मग्घी पुत्री स्व0 रामसखा पटेल

9. चण्डी पुत्री स्व0 रामसखा पटेल

10. महावीर पटेल तनय रामावतार पटेल

11. बेवा सुखमन्ती पुत्री स्व0 राममिलन पटेल

12. कमलेश्वर पटेल तनय स्व0 राममिलन पटेल

13. राजेश पटेल तनय स्व0 राममिलन पटेल

14. फूलमती पटेल पत्नी राजमणि पटेल

15. यज्ञसेन पटेल तनय स्व0 राजमणि पटेल

16. सतीश पटेल तनय स्व0 राजमणि पटेल

17. कामता पटेल तनय स्व0 राजमणि पटेल

18. ज्ञान्नेन्द्र पटेल तनय स्व0 राजमणि पटेल

क्रमांक 6 ता 18 निवासी ग्राम बदवार तहसील गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

----अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक-75/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 21.08.2018

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 21.08.18 सर्वथा विधान न्यायिक पकिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील अनावेदकगणों ने नायब तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण कमांक 77/अ-27/2015-16 एवं 76/अ-27/2015-16 मे पारित आदेश के बिरुद्ध दायर किए थे, जो अपील पोषणीय नही थी, विशेष रूप से अलग-अलग प्रकरण मे पारित आदेशों की अलग-अलग अपील दायर होने की ब्यवस्था है। एक अपील के द्वारा विचारण न्यायालय के दो प्रकरणों का निर्णय निरस्त नही हो सकता इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर विचार नही किया गया।

(8)

<u>राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 5698 - रीवा/18 जिला रीवा

श्रीमती श्याम कली पटेल विरूद्ध अवधेश पटेल व अन्य

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 75/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-8-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	